राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, मंगलवार, 2 जून, 2009 / 12 ज्येष्ठ, 1931

हिमाचल प्रदेश सरकार

HEALTH & FAMILY WELFARE DEPARTMENT
"Rashtriya Swasthya Bima Yojana"
Himachal Pradesh, Kasumpti, Shimla

NOTIFICATIONS

Shimla-9, *the* 1*st June*, 2009

No. HFW-H (RSBY)-2/08-Part.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to order the establishment of a separate Society under the Societies Registration Act, 2006 which will work as Nodal Agency for the implementation of the "Rashtriya Swasthya Bima Yojna" for BPL families in the Department of Health & Family Welfare, Himachal Pradesh. The General Body of the society shall consist of senior functionaries from the Departments of Finance, Labour & Employment, Ayurveda, Social Justice & Women Empowerment, Rural Development & Panchayati Raj and Information Technology, in addition to Health & Family Welfare Department.

For smooth & efficient functioning of the Society and implementation of the scheme in Himachal Pradesh, the society shall have the following posts:

Sr. No.	Name of Post	No. of Posts
1.	Chief Executive Officer/Officer In-charge	One
2.	Consultant (s)	Two
3.	Finance Officer	One
4.	Data-cum-Accounts Manager.	One
5.	Steno	One
6.	Data Entry Operators	Two
7.	Office Assistant	One
8.	Class IV	One

The expenditure of the Society shall be met from the collection of annual registration fee from BPL beneficiaries under the Scheme.

This issues with the prior concurrence of the Finance Department obtained vide their U.O. No. 51043039/ IF & 51043046/IF, dated 28-03-2009.

1*st June*, 2009

No. Health A-B (12)1/2002.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to notify the creation and establishment of a new Directorate of Health Safety and Regulation. This Directorate shall start functioning with immediate effect as a separate Directorate in the Department of Health and Family Welfare. The Directorate shall deal with the subjects listed at Annexure-A.

The Directorate of Health Safety and Regulation shall have the following posts:

Sl. No.	Name of Post	No. of Posts	Remarks
1.	Director, Health Safety and Regulation	1	This newly created post shall be filled up from the Cadre of All India Service/HAS in the pay scale of respective incumbent.
2.	Officer on Special Duty (OSD)	2	These two posts shall be filled up from amongst the G.D.O.'s through selection on secondment basis and one post each of Medical Officer in the Zonal Leprosy Hospital, Mandodhar, Solan and Zonal Leprosy Hospital, Kandwari, Kangra respectively shall stand shifted to this directorate with immediate effect.
3.	Superintendent Gr.-II	3	All these posts will be filled up by staff of Directorate of Health and Family Welfare, HP and corresponding posts shall be shifted from the Directorate of Health and Family Welfare to this Directorate.
4.	Assistant Drug Controller	1	
5.	Radiation Safety Officer	1	
6.	Sr. Assistant	3	
7.	Clerk	5	
8.	Driver	1	
9.	Class-IV	5	

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

लोक निर्माण विभाग

शिमला–2, 19 मई, 2009

अधिसूचना

संख्या पी0 बी0 डब्लयू (बी) एफ (5) 64 / 2009.––यतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल को यह प्रतीत होता है कि हिमाचल प्रदेश सरकार को सरकारी व्यय पर सार्वजनिक प्रयोजन हेतु नामतः गांव बैरी दडोलां, तहसील झण्डुता, जिला बिलासपुर में बैरी दडोला पुल के निर्माण हेतु भूमि अर्जित करनी अपेक्षित है, अतएव एतद्द्वारा यह अधिसुचित किया जाता है कि उक्त परिक्षेत्र में जैसा कि निम्न विवरणी में निर्दिष्ट किया गया है, उपरोक्त प्रयोजन के लिए भूमि का अजर्न अपेक्षित है।

2. यह अधिसूचना ऐसे सभी व्यक्तियों को, जो इससे सम्बन्धित हो सकते हैं, की जानकारी के लिए भू–अर्जन अधिनियम, 1894 की धारा, 4 के उपबन्धों के अन्तर्गत जारी की जाती है।

3. पूर्वोक्त धारा द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश इस समय इस उपक्रम में कार्यरत सभी अधिकारियों उनके कर्मचारियों और श्रमिकों को इलाके की किसी भी भूमि में प्रवेश करने और सर्वेक्षण करने तथा उस धारा द्वारा अपेक्षित अथवा अनुमतः अन्य सभी कार्यों को करने के लिए सहर्ष प्राधिकार देते हैं।

4. कोई भी हितबद्ध व्यक्ति जिसे उक्त परिक्षेत्र में कथित भूमि के अर्जन पर कोई आपत्ति हो तो वह इस अधिसूचना के प्रकाशित होने के तीस (30) दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में भू–अर्जन समाहर्ता, लोक निर्माण विभाग (उ0 क्षेत्र) कांगड़ा के समक्ष अपनी आपत्ति दायर कर सकता है।

विवरणी

जिला	तहसील	गांव	खसरा नम्बर	बीघा–बिस्वा
बिलासपुर	झण्डुता	बैरी दडोलां	160 / 1	0–3
			194 / 1	0–2
		कुल जोड़	किता 2	0–5

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

————————

ब अदालत श्री बिनय सिंह (हि0 प्र0 से0), उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)

श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी खन्न, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना–पत्र बराए दरुस्ती बारे।

श्री रमेश चन्द सुपुत्र श्री गोविन्द राम, निवासी खन्न, तहसील सदर, जिला बिलासपुर (हि0 प्र0) ने इस न्यायालय में ब्यान हल्फी सहित प्रार्थना–पत्र दिया है कि उसकी जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड

चान्दपुर में दिनांक 30–7–1948 दर्ज है जबकि स्कूल प्रमाण–पत्र में 22–6–1952 दर्ज है, जो सही है। आवेदक अपनी सही जन्म तिथि पंचायत रिकार्ड चान्दपुर में दर्ज करवाना चाहता है।

अतः आम जनता व सम्बन्धित रिश्तेदारों को इस अदालती इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि अगर उपरोक्त बारे किसी को एतराज हो तो वह दिनांक 19–6–2009 को प्रातः 10.00 बजे या इससे पहले अपने उजर या एतराज अधोहस्ताक्षरी के न्यायालय में असालतन या वकालतन पेश कर सकता है। मियाद गुजरने के बाद कोई भी उजर या एतराज काबिले समायत न होगा।

आज दिनांक 18–5–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर न्यायालय द्वारा जारी हुआ।

मोहर।

बिनय सिंह,
उप–मण्डल दण्डाधिकारी, सदर,
जिला बिलासपुर (हि0 प्र0)।

————————

PROCLAMATION UNDER SECTION 372 OF I. S. A.

In the Court of Shri Rakesh Chaudhary, Civil Judge (Senior Division), Bilaspur, District Bilaspur (H. P.)

In the matter of :——

1. Shri Anshul Gupta 2. Shri Rishi Gupta ss/o 3. Smt. Meenakshi Gupta w/o Late Shri Rajinder Gupta, r/o Village Kosrian Kanatan, Tehsil Sadar, District Bilaspur (H. P.)

. . Petitioners.

Versus

General Public *. . Respondent.*

To

The General Public.

Whereas in the above noted case, the petitioners has applied for the grant of Succession Certificate in respect of the amount of Rs. 1,26,857/- and admissible Intrest thereon till the realization lying deposited in State Bank of Patiala, B. O. Bilaspur under Account No. 0166006116 in favour of petitioners.

Notice is hereby given to the general public and kinsman of deceased Shri Rajinder Kumar Gupta that if anybody has any objection, the same be filed in this Court on or before 4-8-2009 at 10 A. M. personally or through pleader or through authorised agent, failing which the application shall be heard and decided *ex parte.*

Given under my hand and seal of the court today the 22nd day of May, 2009.

Seal.

RAKESH CHAUDHARY,
Civil Judge (Senior Division),
Bilaspur, District Bilaspur (H. P.).

ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

जोधा राम उर्फ जोध सिंह पुत्र श्री मोहन, निवासी भौन्ट, डाकघर गरनोत, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

मिसल नम्बर : 15–3–XIII-B/09. तारीख पेशी : 23–6–2009

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि जोधा राम उर्फ जोध सिंह पुत्र श्री मोहन, निवासी भौन्ट, डाकघर गरनोत, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा ने इस अदालत में आवेदन–पत्र दिया है कि उसका नाम राजस्व अभिलेख में जोध राम दर्ज है लेकिन पंचायत रिकार्ड में जोध सिंह दर्ज है। प्रार्थी अपने नाम की दरुस्ती करवाना चाहता है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम जोधा राम उर्फ जोध सिंह पुत्र श्री मोहन, निवासी भौन्ट को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23–6–2009 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। उक्त दिनांक तक एतराज पेश न होने की सूरत में यह समझा जायेगा कि उक्त नाम को राजस्व रिकार्ड में दर्ज करने बारे कोई एतराज न है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 18–5–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। जे0 आर0 भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
सिहुन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत श्री जे0 आर0 भारद्वाज, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, सिहुन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)

श्रीमती लीला देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री काली दास, निवासी मनहूता, उप–तहसील सिहुन्ता, जिला चम्बा, (हि0 प्र0)।

मिसल नम्बर : 14–3–XIII-B/09. तारीख पेशी : 23–6–2009

बनाम

आम जनता

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि श्रीमती लीला देवी धर्मपत्नी स्व0 श्री काली दास, निवासी मनहूता, उप–तहसील सिहुन्ता ने अदालत में आवेदन–पत्र दिया है कि मेरी लड़की का नाम राजस्व अभिलेख में रेशमा देवी दर्ज है लेकिन पंचायत रिकार्ड व स्कूल के रिकार्ड में पुनम कुमारी दर्ज है। प्रार्थिया अपनी लड़की के नाम की दरुस्ती करवाना चाहती है।

अतः अग्रिम कार्यवाही से पहले सर्वसाधारण जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को इस नाम रेशमा देवी उर्फ पुनम कुमारी पुत्री स्व0 श्री काली दास, निवासी मनहुता को राजस्व अभिलेख में

दर्ज करने बारे कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 23–6–2009 को सुबह 10.00 बजे मौखिक या लिखित रूप में असालतन या वकालतन अपना एतराज पेश कर सकते हैं। उक्त दिनांक तक एतराज पेश न होने पर यह समक्षा जायेगा कि उक्त नाम को राजस्व अभिलेख में दर्ज करने बारे कोई एतराज न है और नियमानुसार कार्यवाही अमल में लाई जायेगी।

आज दिनांक 18–5–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जे0 आर0 भारद्वाज,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
सिहुन्ता, जिला चम्बा (हि0 प्र0)।

————————

In the Court of Shri Shubh Karan Singh, Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie, District Chamba (H. P.)

Shri Mohamad Salim son Shri Mohamad Hasan, r/o Village Khairi, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) . . *Applicant.*

Versus

General Public

Notice under section 13 (3) of the Birth and Death Registration Act.

Whereas Shri Mohamad Salim son Shri Mohamad Hasan, r/o Village Khairi, Tehsil Dalhousie, District Chamba (H. P.) has filed an application alongwith an affidavit for the registration of date of birth of his daughter namely Saniya Nazz, born on 23-1-2005, in the record of concerned Gram Panchayat Samleu, thereof.

Hence, this notice is issued to the General Public that if any one has any objection/claim regarding the registration of date of birth of his daughter in the concerned Gram Panchayat Samleu, they may file their claim/objection on or before 20th June, 2009 in this court failing which necessary orders will be passed to the concerned Gram Panchayat, Samleu for registration.

Given today on 21st May, 2009 under my signature and seal of this Court.

Seal.

SHUBH KARAN SINGH,
Sub-Divisional Magistrate, Dalhousie,
District Chamba (H. P.).

In the Court of Shri Pankaj Rai, HPAS, Marriage Officer-cum-**Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.)**

In the matter of :

1. Shri Jagjiwan Kumar, aged 29 years s/o Shri Kishori Lal, r/o Village Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.).

2. Poonam Kumari, aged 23 years d/o Shri Surinder Singh, r/o Village & P. O. Jangal Beri, Tehsil Sujanpur, District Hamirpur (H. P.) . . *Applicants.*

Versus

General Public

Subject.—Proclamation for the registration of marriage under section 5 of Special Marriage Act, 1954.

Shri Jagjiwan Kumar & Poonam Kumari have filed an application alongwith affidavits in the court of undersigned under Special Marriage Act, 1954 in which they stated that they intend to solemnize marriage within one month.

Therefore, the general public is hereby informed through this notice that any person who has any objection regarding this marriage can file the objection personally or in writing before this court on or before 4-7-2009. The objection received after 22-6-2009 will not entertained and marriage will be registered accordingly.

Issued today on 23-5-2009 under my hand and seal of the court.

Seal.

PANKAJ RAI,
Marriage Officer-cum-*Sub-Divisional Magistrate, Hamirpur (H. P.).*

———

ब अदालत नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी, बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)

मिस्ल नं0 74 / NT / 2007. अनुवान मुकद्दमा तकसीम भूमि।

श्री सुभाष चन्द पुत्र श्री सौंकी राम, 2. दीप राम पुत्र, 3. दया देवी पत्नी, 4. पवना देवी पुत्री किरलू राम, 5. तोता राम पुत्र सौंकी राम, 6. विमला देवी पत्नी, 7. मन्जू देवी पुत्री, 8. अन्जू देवी पुत्री, 9. आरती देवी पुत्री, 10. भारती देवी पुत्री अमरनाथ, निवासी पन्तेहड़, डा0 घिरचौली, तहसील बैजनाथ . . प्रार्थीगण।

बनाम

1. बाबू राम पुत्र गौरी दत्त, निवासी करसोग, तहसील करसोग, जिला मण्डी . . प्रतिवादी।

तकसीम बाबत भूमि खाता नम्बर 28, खतौनी नम्बर 70, खसरा नम्बर 1410 / 176, रवबा तादादी 0—24—99 है0 बवकया महाल पन्तेहड़, मौजा व तहसील बैजनाथ।

उपरोक्त मुकद्दमा इस अदालत में विचाराधीन है इसमें प्रतिवादीगण को कई बार समन जारी किए गए मगर साधारण तरीके से समनों की तामील नहीं हो रही है। अतः उपरोक्त प्रविादीगणें को इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि इस केस के बारे कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 9–7–2009 को अधोहस्ताक्षरी की अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर कर सकते हैं। गैर हाजिरी कर सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 15–5–2009 को मेरे मोहर एवं हस्ताक्षर से जारी हुआ।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
नायब तहसीलदार एवं सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी,
बैजनाथ, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

————

ब अदालत श्री सन्तोष कुमार कार्याकारी दण्डाधिकारी, जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश

ब मुकद्दमा :

श्रीमती ऊषा देवी पत्नी श्री पवन कुमार, निवासी भाटी, तहसील ज्वालामुखी, जिला कांगड़ा।

बनाम

समस्त आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मुत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती ऊषा देवी ने इस अदालत में दरख्वास्त दी है कि इसकी पुत्री दीक्षा का जन्म पंचायत रजिस्टर में गलती से दर्ज न करवाया गया है । अब दर्ज किया जावे। इसकी पुत्री की जन्म तिथि 28–5–2004 तथा बच्चे का जन्म भाटी गांव में हुआ है।

अतः इस नोटिस द्वारा समस्त जनता तथा सम्बन्धित रिश्तेदारों को सूचित किया जाता है कि यदि किसी को इस का नाम दर्ज करने बारे कोई आपत्ति या उजर हो तो वह दिनांक 21–7–2009, समय 10 बजे प्रातः स्वयम अथवा किसी वान्छित के माध्यम से हमारे समक्ष अदालत में हाजिर होकर पेश करें अन्यथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 6–5–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर। सन्तोष कुमार,
कार्याकारी दण्डाधिकारी,
जिला कांगड़ा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 सी0 मिश्रा, सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी, उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

ब मुकद्दमा :

चमार पुत्र श्री टिटला, निवासी गांव व मुहाल बतौर डाकघर, साईगलू, ईलाका तुंगल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.––नाम दरुस्ती राजस्व अभिलेख बारे।

चमार पुत्र श्री टिटला, निवासी गांव व मुहाल बतौर डाकघर, साईगलू, ईलाका तुंगल, जिला मण्डी ने इस अदालत में आवेदन–पत्र मय शपथ–पत्र प्रस्तुत किया है कि मेरा वास्तविक नाम चमार है जो कि ग्राम पंचायत अभिलेख में दर्ज है। परन्तु राजस्व अभिलेख में मेरा नाम चमारु इन्द्राज हुआ है। अतः राजस्व अभिलेख में नाम दरुस्ती के आदेश दिए जावें।

अतः सर्वसाधारण जनता को बजरिया राजपत्र इश्तहार द्वारा सूचित किया जाता है कि यदि किसी को उक्त नाम दरुस्ती बारे कोई उजर / एतराज हो तो वह दिनांक 3–7–2009 को या इससे पूर्व असालतन व वकालतन हाजर होकर अदालत मे पेश कर सकता है अन्यथा हाजर न होने की सूरत में उक्त नाम दरुस्ती के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 23–5–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी0 सी0 मिश्रा,
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं कार्यकारी दण्डाधिकारी,
उप–तहसील कोटली, जिला मण्डी (हि0 प्र0)।

————————

ब अदालत कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

श्री निरंजन देव पुत्र श्री हुमा दत्त, निवासी जाड़ा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0) . .प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

दरख्वास्त जेर धारा 13(3) पंजीकरण जनम व मृत्यु।

उपरोक्त मुकद्दमा उनवान वाला में प्रार्थी श्री निरंजन देव पुत्र हुमा दत्त, निवासी ग्राम जाड़ा, तहसील रोहडू, जिला शिमला (हि0 प्र0) ने इस कार्यालय में गुजारिश की है कि प्रार्थी का नाम ग्राम पंचायत रन्टाडी के अभिलेख में निरंजन देव है जबकि राजस्व अभिलेख में रंजन देव है जोकि गलत है इसलिए प्रार्थी का नाम राजस्व अभिलेख में निरंजन देव दरुस्त किया जावे।

अतः आम जनता को बजरिया इश्तहार राजपत्र सूचित किया जाता है कि उपरोक्त पंजीकरण के बारा किसी को कोई उजर व एतराज हो तो वह दिनांक 29–6–2009 को असालतन व वकालतन इस कार्यालय में सुबह 10.00 बजे हाजर आवें तथा अपने उजर पेश करें अन्यथा दिगर कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 27–5–2009 को हमारे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ है।

मोहर। हस्ताक्षरित / –
कार्यकारी दण्डाधिकारी, रोहडू,
जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

————————

ब अदालत श्री राकेश कुमार, सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी, जिला शिमला स्थित शोधी (हि0 प्र0)

इन्तकाल नम्बर 340, गांव पटीयूड, तहसील व जिला शिमला ग्रामीण, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

श्री कमल किशोर बनाम वेद प्रकाश आदि।

1. श्री कमल किशोर पुत्र श्री शिव राम, गांव पटीयूड, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0)
. . वादी।

बनाम

1. श्री वेद प्रकाश, 2. श्री चान्द प्रकाश, निवासी सिविल लाईन, धर्मशाला, जिला कांगड़ा (हि0 प्र0)।

(ii) श्री ओम प्रकाश, 2. श्रीमती सत्या देवी, 3. श्रीमती पुष्पा देवी, गांव शोघी, डाकखाना शोघी, तहसील व जिला शिमला (हि0 प्र0) . . प्रतिवदीगण।

इन्तकाल नम्बर 340वें में प्रतिवादीगण को बार–बार ईतलाह जारी करने पर भी तामील नहीं हो रहे हैं। ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें आसान तरीके से ईतलाह की तामील नहीं हो सकती है।

अतः इस अदालती इश्तहार द्वारा उपरोक्त प्रतिवादीगणों को सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 29–6–2009 से पूर्व मेरी अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी स्थित शोघी, शिमला (हि0 प्र0) में असालतन या वकालतन हाजिर आवें अन्यथा उनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

यह इश्तहार आज दिनांक 25–5–2009 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर द्वारा जारी किया गया।

मोहर। राकेश कुमार,
सहायक समाहर्ता, द्वितीय श्रेणी,
जिला शिमला स्थित शोधी (हि0 प्र0)।

————————

लोक निर्माण विभाग

अधिसूचना

शिमला–2, 23 मई, 2009

संख्या पी0बी0डब्ल्यू0–ए–ए(3)–1 / 2006.––हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) के पद के लिए इस अधिसूचना से संलग्न उपाबन्ध–"क" के अनुसार भर्ती और प्रोन्नति नियम बनाती हैं, अर्थात् :––

1. **संक्षिप्त नाम और प्रारम्भ.––**(i) इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लिपिक, वर्ग–III (अराजपत्रित) भर्ती और प्रोन्नति नियम, 2009 है।

(ii) ये नियम राजपत्र, हिमाचल प्रदेश में प्रकाशित किए जाने की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. **निरसन और व्यावृत्तियां.––**(i) इस विभाग की अधिसूचना संख्या पी0डब्ल्यू0ई0–147–7 / 50–76098 तारीख 07–10–1960 द्वारा अधिसूचित और समय–समय पर यथा संशोधित दी हिमाचल प्रदेश पब्लिक वर्कस डिपार्टमैंट सबओर्डिनेट क्लास–III सर्विसज (क्लेरिकल एण्ड स्टेनोग्राफरज सर्विस) रैक्रूटमैंट एण्ड प्रमोशन रूजल, 1960 का एतद्द्वारा उस विस्तार तक निरसन किया जाता है जहां तक ये लिपिक के पद से सम्बन्धित है ।

(ii) ऐसे निरसन के होते हुए भी उपर्युक्त उप–नियम (i) के अधीन इस प्रकार निरसित नियमों के अधीन की गई कोई नियुक्ति, बात या कार्रवाई इन नियमों के अधीन विधिमान्य रूप में की गई समझी जाएगी।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

––––––––

अनुबन्ध–क

हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण में लिपिक वर्ग–III (अराजपत्रित) पद के लिए भर्ती और प्रोन्नति नियम

1. **पद का नाम.––**लिपिक ।

2. **पदों की संख्या.––**939 (नौ सौ उनतालीस)।

3. **वर्गीकरण.––**वर्ग–III (अराजपत्रित) ।

3. **(क) क्या राज्य संवर्ग है / वृत्त या मण्डल संवर्ग है.**––राज्य संवर्ग।

4. **वेतनमान.**––3120–100–3220–110–3660–120–4260–140–4400–150–5000–160–5160 रूपए। (रूपए 3220 / – से प्रारम्भ)

5. **चयन' पद अथवा 'अचयन' पद.**––अचयन।

5(क). **नियुक्ति प्राधिकारी.**––प्रमुख अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग ।

6. **सीधी भर्ती के लिए आयु.**––18 से 45 वर्ष ।

परन्तु सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए व्यक्तियों सहित पहले से ही सरकार की सेवा में रत अभ्यर्थियों को लागू नहीं होगी :

परन्तु यह और कि यदि तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्त किया गया अभ्यर्थी इस रूप में नियुक्ति की तारीख को अधिक आयु का हो गया हो, तो वह तदर्थ या संविदा के आधार पर नियुक्ति के कारण विहित आयु में छूट के लिए पात्र नहीं होगा :

परन्तु यह और कि अनुसूचित जातियों / अनुसूचित जनजातियों / अन्य वर्गों के व्यक्तियों के लिए ऊपरी आयु सीमा में उतनी ही छूट दी जा सकेगी जितनी कि हिमाचल प्रदेश सरकार के साधारण या विशेष आदेश (आदशों) के अधीन अनुज्ञेय है :

परन्तु यह और भी कि पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के सभी कर्मचारियों को, जो ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के समय ऐसे पब्लिक सेक्टर, निगमों / स्वायत निकायों में आमेलन से पूर्व सरकारी कर्मचारी थे, सीधी भर्ती में आयु सीमा में ऐसी ही रियायत दी जाएगी जैसी सरकारी कर्मचारियों को अनुज्ञेय है, किन्तु इस प्रकार की रियायत पब्लिक सेक्टर, निगमों तथा स्वायत निकायों के ऐसे कर्मचारीवृन्द को नहीं दी जाएगी जो पश्चात्वर्ती ऐसे निगमों / स्वायत निकायों द्वारा नियुक्त किए गए थे / किए गए हैं और उन पब्लिक सेक्टर निगमों / स्वायत निकायों के प्रारम्भिक गठन के पश्चात् निगमों / स्वायत निकायों की सेवा में अन्तिम रूप से आमेलित किए गए हैं / किए गए थे ।

(1) सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा की गणना उस वर्ष के प्रथम दिवस से की जाएगी जिसमें कि पद (पदों) को आवेदन आमन्त्रित करने के लिए, यथास्थिति, विज्ञापित किया गया है या नियोजनालयों को अधिसूचित किया गया है ।

(2) अन्यथा सुअर्हित अभ्यर्थियों की दशा में सीधी भर्ती के लिए आयु सीमा और अनुभव, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के विवेकानुसार शिथिल किया जा सकेगा।

7. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्ति(व्यक्तियों) के लिए अपेक्षित न्यूनतम शैक्षिक और अन्य अर्हताएं.——*अनिवार्य अर्हताएं:*——(i) मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा पास की हो या इसके समतुल्य हो ।

(ii) अंग्रेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की गति रखता हो ।

वांछनीय अर्हता(एं):——हिमाचल प्रदेश की रूढ़ियों, रीतियों, और बोलियों का ज्ञान और प्रदेश में विद्यमान विशिष्ट दशाओं में नियुक्ति के लिए उपयुक्तता।

8. सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अर्हताएं : प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं.——*आयु :* लागू नहीं।

शैक्षिक अर्हता:—— जैसी नीचे स्तम्भ संख्या 11 के सामने विहित की गई हैं।

9. परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो.—— दो वर्ष, जिसका एक वर्ष से अनधिक ऐसी और अवधि के लिए विस्तार किया जा सकेगा जैसा सक्षम प्राधिकारी विशेष परिस्थितियों में और लिखित कारणों से आदेश दें।

10. भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधी होगी या प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण द्वारा और विभिन्न पद्धतियों द्धारा भरे जाने वाले पद(पदों) की प्रतिशतता.——(i) सत्तर प्रतिशत सीधी भर्ती द्वारा नियमित आधार पर या संविदा के आधार पर ;

(ii) बीस प्रतिशत वर्ग–IV कर्मचारियों (हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग में औद्योगिक प्रवर्गों) में से हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन बौर्ड के माध्यम से सीमित सीधी भर्ती द्वारा, जिनका 2 वर्ष का सेवाकाल हो तथा जो सीधी भर्ती के लिए यथा विहित अपेक्षित अर्हता रखते हों, ऐसा न होने पर सीधी भर्ती द्वारा या संविदा के आधार पर ।

(iii) 10 प्रतिशत चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों में से प्रौन्नति द्वारा ।

11. प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण की दशा में श्रेणियां (ग्रेड) जिनसे प्रोन्नति, प्रतिनियुक्ति, स्थानान्तरण किया जाएगा.––वर्ग–IV कमचारियों में से प्रोन्नति द्वारा, जिन्होंने किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड / विश्वविद्यालय से दस जमा दो की परीक्षा उत्तीर्ण की हो या इसके समतुल्य हो और जिनका पांच वर्ष का नियमित सेवाकाल या ग्रेड में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, को सम्मिलित करके पांच वर्ष का सेवाकाल हो।

परन्तु समस्त वर्ग–IV कमचारियों में से इस प्रकार प्रोन्नत लिपिक को अंगेजी टंकण में कम से कम तीस शब्द प्रति मिनट और हिन्दी टंकण में पच्चीस शब्द प्रति मिनट की टंकण परीक्षा परिवीक्षा अवधि के भीतर उतीर्ण करनी होगी, जिसका संचालन सम्बद्ध विभागों द्वारा किया जाएगा और पदधारियों को परिवीक्षा अवधि के दौरान तीन अवसर दिए जाएंगे । यदि अभ्यर्थी, विहित अवधि के भीतर परीक्षा उत्तीर्ण करने में असफल रहता है तो वह लिपिक से वर्ग–IV के पद पर प्रतिवर्तित कर दिया जाएगा :

परन्तु इस प्रकार प्रोन्नत वर्ग–IV के पद के पदधारियों या करूणामूलक आधार पर नियुक्त कर्मचारियों को जो ऐसी नियुक्ति के समय मैट्रिक (तृतीय श्रेणी) या मैट्रिक (केवल अंग्रेजी विषय सहित) हिन्दी रत्न पास की शैक्षिक अर्हताएं रखते हों पर वरिष्ठ सहायक के पद पर उनकी प्रोन्नति के लिए तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक कि वे स्तम्भ संख्या–7 में सीधी भर्ती के लिए विहित न्यूनतम अर्हताएं प्राप्त नहीं कर लेते :

प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए वर्ग–IV कर्मचारियों की, उनके सेवाकाल के आधार पर, उनकी संवर्ग पार पारस्परिक वरिष्ठता को छेड़े बिना एक संयुक्त वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी :

परन्तु प्रोन्नति के प्रयोजन के लिए प्रत्येक कर्मचारी को जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में पद(पदों) की ऐसे क्षेत्रों में पर्याप्त संख्या की उपलब्धता के अध्यधीन, कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा करनी होगी :

परन्तु यह और कि उपर्युक्त परन्तुक (1) उन कर्मचारियों के मामले में लागू नहीं होगा जिनकी अधिवर्षिता के लिए पांच वर्ष या उससे कम की सेवा शेष रही हो :

परन्तु यह और भी कि उन अधिकारियों / कर्मचारियों को, जिन्होंने जनजातीय / दुगर्म क्षेत्र में कम से कम एक कार्यकाल तक सेवा नहीं की है, ऐसे क्षेत्र में उसके अपने संवर्ग (काडर) में सर्वथा वरिष्ठता के अनुसार स्थानान्तरण किया जाएगा ।

स्पष्टीकरण–I.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्रों में "कार्यकाल" साधारणतया तीन वर्ष की अवधि या प्रशासनिक अपेक्षाओं और कर्मचारी द्वारा दिए गए कार्य को ध्यान में रखते हुए ऐसे क्षेत्रों में तैनाती की इससे कम अवधि अभिप्रेत होगी ।

स्पष्टीकरण–II.––उपर्युक्त परन्तुक के प्रयोजन के लिए जनजातीय / दुर्गम क्षेत्र निम्न प्रकार से होंगेः––

1. जिला लाहौल एवं स्पिति ।
2. चम्बा जिला का पांगी और भरमौर उप मण्डल ।
3. रोहडू उप मण्डल का डोडरा क्वार क्षेत्र ।
4. जिला शिमला की रामपुर तहसील का पन्द्रह बीस परगना, मुनीष, दरकाली और ग्राम पंचायत काशापाट ।
5. कुल्लू जिला का पन्द्रह बीस परगना ।

6. कांगड़ा जिला के बैजनाथ उप मण्डल का बडा भंगाल क्षेत्र ।

7. जिला किन्नौर ।

8. सिरमौर जिला में उप तहसील कमरउ के काठवाड और कोरगा पटवार वृत्त, रेणुकाजी तहसील के भलाड–भलौना और सांगना पटवार वृत्त और शिलाई तहसील का कोटा पाब पटवार वृत्त ।

9. मण्डी जिला में करसोग तहसील का खन्योल–बगडा पटवार वृत्त, बाली चौकी उप तहसील के गाडा गोसाई, मठयानी, घनयाड, थाची, बागी, सोमगाड और खोलानाल, पद्धर तहसील के झारवाड, कुटगढ, ग्रामन, देवगढ, ट्रैला, रोपा, कथोग, सिल्ह–भडवानी, हस्तपुर, घमरेड और भटेढ पटवार वृत्त, थुनाग तहसील के चियूणी, कालीपार, मानगढ, थाच–बगडा उत्तरी मगरू और दक्षिणी मगरू पटवार वृत्त और सुन्दरनगर तहसील का बटवाडा पटवार वृत्त ।

(1) प्रोन्नति के सभी मामलों में पद पर नियमित नियुक्ति से पूर्व सम्भरक पद में की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, प्रोन्नति के लिए इन नियमों में यथाविहित सेवाकाल के लिए, इस शर्त के अधीन रहते हुए गणना में ली जाएगी, कि सम्भरक प्रवर्ग में तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार चयन की उचित स्वीकार्य प्रक्रिया को अपनाने के पश्चात् की गई थी :

परन्तु उन सभी मामलों में जिनमें कोई कनिष्ठ व्यक्ति सम्भरक पद में अपने कुल सेवाकाल (तदर्थ आधार पर की गई तदर्थ सेवा सहित, जो नियमित सेवा / नियुक्ति के अनुसरण में हो) के आधार पर उपर्युक्त निर्दिष्ट उपबन्धों के कारण विचार किए जाने का पात्र हो जाता है, वहां अपने–अपने प्रवर्ग / पद / काडर में उससे वरिष्ठ सभी व्यक्ति विचार किए जाने के पात्र समझे जाएंगे और विचार करते समय कनिष्ठ व्यक्ति से ऊपर रखे जाएंगे :

परन्तु यह और कि उन सभी पदधारियों की, जिन पर प्रोन्नति के लिए विचार किया जाना है, की कम से कम तीन वर्ष की न्यूनतम अर्हता सेवा या पद के भर्ती और प्रोन्नति नियमों में विहित सेवा, जो भी कम हो, होगी :

परन्तु यह और भी कि जहां कोई व्यक्ति पूर्वगामी परन्तुक की अपेक्षाओं के कारण प्रोन्नति किए जाने सम्बन्धी विचार के लिए अपात्र हो जाता है, वहां उससे कनिष्ठ व्यक्ति भी ऐसी प्रोन्नति के विचार के लिए अपात्र समझा जाएगा / समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण.––अंतिम परन्तुक के अन्तर्गत कनिष्ठ पदधारी प्रोन्नति के लिए अपात्र नहीं समझा जाएगा यदि वरिष्ठ अपात्र व्यक्ति भूतपूर्व सैनिक है जिसे डिमोबीलाइज्ड आमर्ड फोर्सिज परसोनल (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन हिमाचल स्टेट नॉन टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज, 1972 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया है और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों या जिसे एक्स सर्विसमैंन (रिजर्वेशन ऑफ वैकेन्सीज इन दी हिमाचल प्रदेश टैक्नीकल सर्विसीज) रूल्ज,1985 के नियम–3 के उपबन्धों के अन्तर्गत भर्ती किया गया हो और इनके अन्तर्गत वरीयता लाभ दिए गए हों।

(2) इसी प्रकार स्थाईकरण के सभी मामलों मे ऐसे पद पर नियमित नियुक्ति / प्रोन्नति से पूर्व सम्भरक पद पर की गई लगातार तदर्थ सेवा, यदि कोई हो, सेवाकाल के लिए गणना में ली जाएगी, यदि तदर्थ नियुक्ति / प्रोन्नति, उचित चयन के पश्चात् और भर्ती और प्रोन्नति नियमों के उपबन्धों के अनुसार की गई थी :

परन्तु की गई उपर्युक्त निर्दिष्ट तदर्थ सेवा को गणना में लेने के पश्चात् जो स्थाईकरण होगा उसके फलस्वरूप पारस्परिक वरीयता अपरिवर्तित रहेगी।

12. यदि विभागीय प्रोन्नति समिति विद्यमान हो तो उसकी संरचना.––जैसी सरकार द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

13. भर्ती करने में किन परिस्थितियों में हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा.––जैसा विधि द्वारा अपेक्षित हो।

14. सीधी भर्ती के लिए अनिवार्य अपेक्षा.––किसी सेवा या पद पर नियुक्ति के लिए अभ्यर्थी का भारत का नागरिक होना अनिवार्य है।

15. सीधी भर्ती द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––सीधी भर्ती के मामले में, पद पर नियुक्ति के लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। यदि, यथास्थिति, हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग या अन्य भर्ती प्राधिकरण ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका स्तर / पाठ्यक्रम, यथास्थिति, आयोग / अन्य भर्ती प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जाएगा।

15–क. संविदा नियुक्ति द्वारा पद पर नियुक्ति के लिए चयन.––(I) संकल्पना : (क) इस पॉलिसी के अधीन हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग में लिपिक संविदा के आधार पर प्रारम्भ में एक वर्ष के लिए लगाया जाएगा जिसे वर्षानुवर्ष आधार पर दो और वर्षों के लिए पर बढ़ाया जा सकेगा।

(ख) पद का हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के कार्यक्षेत्र में आना : प्रमुख अभियन्ता, हि0प्र0 लोक निर्माण विभाग रिक्त पदों का संविदा के आधार पर भरने के लिए सरकार का अनुमोदन प्राप्त करने के पश्चात् अध्यपेक्षा को सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड के समक्ष रखेगा।

(ग) चयन इन नियमों में विहित पात्रता शर्तों के अनुसार किया जाएगा।

(घ) इन नियमों के अधीन इस प्रकार चयनित संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को सरकारी सेवा (जॉब) में नियमितिकरण या स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

(II) संविदात्मक उपलब्धियां : संविदा के आधार पर नियुक्त लिपिक को 4,830 / –रूपए की समेकित संविदात्मक नियत रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन के बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए में संविदात्मक रकम में 110 / – रूपए वार्षिक वृद्धि के रूप में अनुज्ञात किए जाएंगे।

(III) नियुक्ति / अनुशासन प्राधिकारी : प्रमुख अभियन्ता, हि0 प्र0 लोक निर्माण विभाग नियुक्ति और अनुशासन प्राधिकारी होगा।

(IV) चयन प्रक्रिया : संविदा नियुक्ति की दशा में में पद पर नियुक्ति लिए चयन, मौखिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा या यदि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन समझे, तो लिखित परीक्षा या व्यावहारिक परीक्षा के आधार पर किया जाएगा जिसका सम्बद्ध भर्ती अभिरकण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा अवधारित किया जाएगा।

(V) संविदात्मक नियुक्तियों के लिए चयन समिति : जैसी सम्बद्ध भर्ती अभिकरण अर्थात् हिमाचल प्रदेश अधीनस्थ सेवाएं चयन बोर्ड द्वारा समय–समय पर गठित की जाए।

(V) करार : अभ्यर्थी को चयन के पश्चात् इन नियमों से संलग्न उपाबन्ध–ख के अनुसार करार हस्ताक्षरित करना होगा।

(VII) निबन्धन और शर्तें : (क) संविदा के आधार पर नियुक्त व्यक्ति को 4830 / –रूपए की समेकित नियत संविदात्मक रकम (जो वेतनमान के प्रारम्भिक जमा पचास प्रतिशत मंहगाई वेतन क` बराबर होगी) प्रतिमास संदत्त की जाएगी। यदि संविदा में एक वर्ष से अधिक की बढ़ौतरी की जाती है तो संविदा पर नियुक्त व्यक्ति क्रमशः द्वितीय और तृतीय वर्ष के लिए संविदात्मक रकम में वार्षिक वृद्धि के रूप में 110 / –रूपए का हकदार होगा अन्य कोई प्रसुविधाएं जैसे वरिष्ठ / चयन वेतनमान आदि नहीं दिया जाएगा।

(ख) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति की सेवा पूर्णतया अस्थाई आधार पर होगी। नियुक्ति समाप्त किए जाने के लिए दायी होगी यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है।

(ग) संविदा पर नियुक्ति, पदधारी को किसी भी दशा में, सेवा मे ं नियमितिकरण का कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

(घ) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त व्यक्ति को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञेय नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

(ङ) नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना सेवा से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा की समाप्ति (पर्यावसान) हो जाएगी । संविदा पर नियुक्त व्यक्ति कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम का हकदार नहीं होगा।

(च) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं किया जाएगा।

(छ) चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। बारह सप्ताह से अधिक की गर्भवती महिला प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थी का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाएगा।

(ज) संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी नियमित कर्मचारियों को वेतनमान के न्यूतम पर लागू है, यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते की हकदार होगा।

(VIII) नियमित नियुक्ति के लिए दावा करने का अधिकार : इन नियमों के अधीन संविदा के आधार पर नियुक्त किए गए अभ्यर्थी को, किसी भी दशा में विभाग में लिपिक के रूप में नियमितिकरण / स्थाई आमेलन का दावा करने का कोई अधिकार नहीं होगा।

16. आरक्षण.–– सेवा में नियुक्ति, हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा, समय–समय पर अनुसूचित जातियों अनुसूचित जनजातियों / अन्य पिछड़े वर्गों और अन्य प्रवर्ग के व्यक्ति (व्यक्तियों) के लिए सेवा में आरक्षण की बाबत जारी किए गए अनुदेशों के अधीन होगी।

17. विभागीय परीक्षा.––लागू नहीं

18. शिथिल करने की शक्ति.––जहां राज्य सरकार की यह राय हो कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह, कारणों को लिखित में अभिलिखित करके और हिमाचल प्रदेश लोक सेवा आयोग के परामर्श से, आदेश द्वारा, इन नियमों के किन्हीं उपबन्धों को किसी वर्ग या व्यक्ति (व्यक्तियों) के प्रवर्ग या (पदों) की बाबत, शिथिल कर सकेगी ।

————————

लिपिक और हिमाचल प्रदेश सरकार के और प्रदेश के मध्य प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग के माध्यम से निष्पादित की जाने वाली संविदा / करार का प्ररूप।

यह करार श्री / श्रीमती..... पुत्र / पुत्री श्री..... निवासी....., संविदा पर नियुक्त व्यक्ति (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्रथम

पक्षकार" कहा गया है) और हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल के मध्य प्रमुख अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग (जिसे इसमें इसके पश्चात् "द्वितीय पक्षकार" कहा गया है) के माध्यम से आज तारीख..... को किया गया।

"द्वितीय पक्षकार" ने उपरोक्त प्रथम पक्षकार को लगाया है और प्रथम पक्षकार ने लिपिक रूप में संविदा आधार पर निम्नलिखित निबन्धन और शर्तों पर सेवा करने के लिए सहमति दी है:–

1. यह कि प्रथम पक्षकार लिपिक के रूप में ..... से प्रारम्भ होने और..... को समाप्त होने वाले दिन तक एक वर्ष की अवधि के लिए द्वितीय पक्षकार की सेवा में रहेगा। यह विनिर्दिष्ट रूप से उल्लिखित किया गया है और दोनों पक्षकारों द्वारा करार पाया गया है कि प्रथम पक्षकार की द्वितीय पक्षकार के साथ संविदा, आखिरी कार्य दिवस् को अर्थात् ..... दिन को स्वयंमेव ही समाप्त समझी जाएगी और सूचना नोटिस आवश्यक नहीं होगा।

2. प्रथम पक्षकार की संविदात्मक रकम..... रुपए प्रतिमास होगी ।

3. प्रथम पक्षकार की सेवा बिल्कुल अस्थाई आधार पर होगी। यदि संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का कार्य / आचरण ठीक नहीं पाया जाता है या यदि नियमित पदधारी उस रिक्ति के विरुद्ध नियुक्त / तैनात कर दिया जाता है जिसके लिए प्रथम पक्षकार को लगाया गया है तो नियुक्ति समाप्त (पर्यवसित) की जाने के लिए दायी होगी।

4. संविदा नियुक्ति, किसी भी दशा में, नियमित सेवा के लिए पदधारी को कोई अधिकार प्रदान नहीं करेगी।

5. संविदा पर नियुक्त लिपिक एक मास की सेवा पूरी करने के पश्चात् एक दिन के आकस्मिक अवकाश का हकदार होगा। यह अवकाश एक वर्ष तक संचित किया जा सकेगा। संविदा पर नियुक्त लिपिक को किसी भी प्रकार का अन्य कोई अवकाश अनुज्ञात नहीं होगा। वह चिकित्सा प्रतिपूर्ति और एल0टी0सी0 इत्यादि के लिए भी हकदार नहीं होगा। केवल प्रसूति अवकाश नियमानुसार दिया जाएगा।

6. नियन्त्रक अधिकारी के अनुमोदन के बिना कर्त्तव्य (ड्यूटी) से अनधिकृत अनुपस्थिति से स्वतः ही संविदा का समापन (पर्यवसान) हो जाएगा। संविदा पर नियुक्त लिपिक (ड्यूटी) से अनुपस्थिति की अवधि के लिए संविदात्मक रकम की हकदार नहीं होगा।

7. संविदा के आधार पर नियुक्त कर्मचारी का एक स्थान से दूसरे स्थान के लिए स्थानान्तरण किसी भी दशा में अनुज्ञात नहीं होगा।

8. चयनित अभ्यर्थी को सरकारी / रजिस्ट्रीकृत चिकित्सा व्यवसायी से अपना आरोग्य प्रमाण–पत्र प्रस्तुत करना होगा। महिला अभ्यर्थियों की दशा में, बारह सप्ताह से अधिक की गर्भावस्था प्रसव होने तक, उसे अस्थाई तौर पर अनुपयुक्त बना देगी। महिला अभ्यर्थियों का किसी प्राधिकृत चिकित्सा अधिकारी / व्यवसायी द्वारा उपयुक्तता के लिए पुनः परीक्षण किया जाना चाहिए।

9. संविदा पर नियुक्त व्यक्ति का यदि अपने पदीय कर्त्तव्यों के सम्बन्ध में दौरे पर जाना अपेक्षित हो, तो वह उसी दर पर, जैसी कि नियमित प्रतिस्थानी कर्मचारी को वेतनमान के न्यूनतम पर लागू है यात्रा भत्ते / दैनिक भत्ते का हकदार होगा / होगी।

10. संविदात्मक नियुक्त महिला(ओं) को सामूहिक जीवन बीमा योजना के साथ–साथ इ0पी0एफ0 / जी0पी0एफ0 भी लागू नहीं होगा। इसके साक्ष्यस्वरूप प्रथम पक्षकार और द्वितीय पक्षकार ने साक्षियों की उपस्थिति में इसमें सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख को अपने–अपने हस्ताक्षर कर दिए हैं।

साक्षी की उपस्थिति में

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(प्रथम पक्षकार के हस्ताक्षर)

साक्षी की उपस्थिति में

1. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

2. .....
.....
.....
(नाम व पूरा पता)

(द्वितीय पक्षकार के हस्ताक्षर)

———————

LANGUAGE & CULTURE DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, 26th May, 2009

No. LCD-F (1)-3/2009.—The Governor, Himachal Pradesh is pleased to authorize the Director, Language & Culture to exercise the powers and perform the functions of the Director, under the H. P. Ancient and Historical Monuments and Archeological Sites and Remains Act, 1976.

By order,
B. K. AGGARWAL,
Secretary.

———————

नगर एवं ग्राम योजना विभाग

शिमला–2, 22 मई, 2009

अधिसूचना

संख्या टी0सी0पी0–ए (3)–2 / 2008.––हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का अधिनियम संख्यांक 12) की धारा 87 की उप धारा (।) के अधीन यथा अपेक्षित के अनुसार हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग रूल्ज, 2009 का प्रारूप इस विभाग की समसंख्यक अधिसूचना तारीख

7–2–2009 को राजपत्र, हिमाचल प्रदेश (असाधारण) में, इससे सम्भाव्य प्रभावित होने वाले व्यक्तियों से आक्षेप या सुझाव आमंत्रित करने के लिए प्रकाशित किया गया था,

और राज्य सरकार को, इस निमित नियम अवधि के भीतर कोई आक्षेप या सुझाव प्राप्त नहीं हुआ है / हुए हैं।

अतः हिमाचल प्रदेश की राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश नगर और ग्राम योजना अधिनियम, 1977 (1977 का 12) की धारा 87 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्,

1. **संक्षिप्त नाम.––**इन नियमों का संक्षिप्त नाम हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग (संशोधन) रूल्ज, 2009 है ।

2. **अपेनडिक्स का संशोधन.––**हिमाचल प्रदेश टाऊन एण्ड कन्ट्री प्लानिंग (संशोधन) रूल्ज, 1978 से संलग्न परिशिष्ट-I में क्रम संख्या 18 के पश्चात् निम्नलिखित जोड़ा जाएगा, अर्थात्:––

"19 Guidelines for development of Information Technology Park in Waknaghat Planning Area.

1. Slope: Buildings of Information Technology (IT) Park shall be allowed upto 300 slope. The infrastructural services including roads shall be developed in accordance with slope of the area.

2. Land use structure of complex :

Land use Structure	**Maximum limit**
Total Covered Area	50%
• IT related activities	22% to 44%
• Commercial	1% to 5%
• Recreational (Indoor)	1% to 3%
• Residential	9% to 15 %
Parks and Tot Lots	8% to 12%
Area under Traffic and Transportation	16% to 20%
Area under Set Backs and other Open Spaces	20% to 24%

3. Means of Access.—(i) The access to the site of IT Park area shall not be less than 12.00 Metre wide.

(ii) Provisions of Internal Roads shall be as under: —

Length	**Width**
Up to 1000 Metres	9.00 Metres
Above 1000 Metres	12.00 Metres

(a) Walkways of more than 1.20 Metre widths shall be provided on both sides of the main internal roads.

(b) The width of roads as specified above shall be including the walkways.

4. Parking Provision :

Residential = @ one car space per 75 M2 floor area

Commercial	=	@ 1.50 car space per 75 M2 floor area
Office Use	=	@ 1.25 car space per 75 M2 floor area
Hardware Manufacturing Unit	=	@ one car space per 60 M2 floor area.
Software development/ITES	=	@ one car space per 40 M2 floor area.

Maximum height of parking floor shall be 3.00 Metre upto beam below the ceiling of the slab.

5. Maximum Number of Storeys, Coverage and Floor Area Ratio (F.A.R.).—(i) The maximum number of storeys shall be restricted upto 4 storeys +1 parking floor.

(ii) Floor Area Ratio (F.A.R.) shall be 1.75.

(iii) The maximum coverage shall be 50%.

6. Maximum height of buildings.—Maximum height of buildings for IT and related activities shall be 20.10 Metre i.e. parking floor =3.20 M, 4 storyes @ 3.50 M per storey = 14.00 M, roof =2.50 M and slab thickness for 4 storyes @ 0.10 M per storey =0.40 M Total =20.10 M.

7. Set Backs.—(i) Block to Block distance shall be 2/3rd of average height of the Blocks.

(ii) Distance of structures from the adjoining properties and side Set Backs shall not be less than 1/3rd of the height of the Blocks.

(iii) Minimum 3.00 Metre distance from internal roads shall be maintained.

8. Expansion Joints.—The structures exceeding 45.00 Metre in length shall be divided by one or more expansion joints as per Structural Design calculations.

9. Structural Stability.—The structural stability provisions shall be strictly adhered to, as enshrined in Section 31-A of the Act.

10. Environment and Health.—(i) Proper air, light and ventilation to each dwelling unit shall be ensured. At least three hours sun may be available for each building during winters. In case of residential structures, kitchen and services shall be provided along the external walls. However, if the water closets and bathrooms are not opening to the front, sides, rear and interior open spaces, these shall open to the ventilation shaft. The maximum size of ventilation shaft shall be 4.00 Metre with minimum one dimension of 1.5 Metre.

(ii) The Developer shall ensure prior environmental clearance under the provisions of Environment Protection Act,1986 from the Competent Authority, besides consent of the State Environment Protection and Pollution Control Board under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981.

11. Safety Measures.—(i) In case of buildings above 15.00 Metre height, No Objection Certificate from the Director of Fire Services or Chief Fire Officer, as the case may be, shall be required.

(ii) The provision of stair cases shall be as per clause 8.6.2 of Part-IV of the National Building Code of India i.e. minimum two stair cases for floor area of more than 500 M2 . At least

one of the stair case shall be on external wall of the buildings and shall open directly to the exterior. Width of stair case shall not be less than 3.00 Metre i.e. 1.50 Metre in each flight.

(iii) Provision for lift shall be optional upto 3 storeys and 1 parking floor. However, for more than 3 storeys and one parking floor, it shall be mandatory requirement. The Developer shall make provision of power back up for the lift and general lighting within and outside the building at his own cost.

(iv) Provision for proper Fire Hydrants shall be made in the Complex and the layout showing position and location of the same shall be made available to the nearest Fire Office.

12. Potable Water Supply and Rain Water Harvesting.—(i) No Objection Certificate from the Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department (IPH) regarding availability of adequate water supply and viability of design of rain water harvesting tank shall be furnished.

(ii) Adequate provision for rain water harvesting tank, @ 20 Liters per M2 of the roof top area, shall be made underground in the Parks and Open Spaces and the same shall be used for the purposes other than drinking and cooking.

13. Parks and tot lots.—Area under parks and tot lots shall be properly organized in regular shape and amidst the Blocks. Proper landscaping of the IT Park area in accordance with the design shall be ensured by the Developer.

14. Existing trees and plantation.—(i) No construction shall be allowed within a radius of 5.00 Metre from the circumference of an existing tree.

(ii) Plantation shall be ensured @ 125 trees per Hectare.

15. Distance from Natural drainage.—Distance from highest flood level (HFL) along rivers, 'khuds' and 'nullahs' shall be as under:—

River	=	25.00 M
Khud	=	10.00 M
Nullah	=	05.00 M

16. Distance from Roads.—Minimum distance of structures from National Highways, State Highways, Himachal Pradesh Public Works Department (PWD)'s Scheduled roads, Bye-Passes and other District roads shall be 15.00 Metre.

17. Distance from Electric Lines.—Adequate distance from the electric lines as per the requirement of Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) Rules, 1956 shall be maintained. No Objection Certificate of the Competent Authority shall be required, if High Tention/ Low Tention (HT/LT) line is crossing through the Complex.

18. Assessment of Power requirement.—In case power requirement assessment exceeds 50 KW, proper space for installation of electric Transformer and Transmission Lines of 11 KV shall be provided in the layout plan. The proposed space is to be got verified from the concerned Officer of the HPSEB and accordingly No Objection Certificate alongwith verification at site shall be furnished.

19. Development of Infrastructure and its maintenance.—(i)The Developer shall construct roads, drains, lay electric and sewerage lines and shall make provision for disposal of

solid waste etc. suitable site shall be reserved for placement of dumpers. The provision of services infrastructure shall be made through a duct to be constructed on the sides of the internal roads.

(ii) The Developer shall provide street light poles each at a distance of 30.00 Metre on both sides of the roads.

(iii) The provision of community over head water reservoir shall be made in the Complex.

(iv) All the infrastructural services shall be maintained by the Developer, till such time when a Society is formed and got registered by the stakeholders and residents of the Complex or a Municipality or Nagar Panchayat or Gram Panchayat takes over the maintenance pursuits of the area.

20. Supervision.—For supervision of development of land, the Town Planner, for design of building an Architect and for building construction, the Structural Engineer shall be competent, as per provisions of Annexure-A of part II of the National Building Code of India.

21. Integration.—Proper integration of the IT park area shall be ensured with the surrounding uses and infrastructural provisions like roads, drainage, sewerage etc.

22. Projection of hill architecture.—Sloping roof shall have to be ensured in each structure.

23. Other Regulations and instructions as issued by the Government from time to time shall be adhered strictly".

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित / –
प्रधान सचिव।

[*Authoritative English Text of Government Notification NO.TCP-A(3)-2/2008 Dated 22-5-2009 as Required Under Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India*].

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPRTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2 *the*, 22*th May*, 2009

NO. TCP-A(3)-2/2008.—Whereas the draft Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2009 were published in the Rajpatra, Himachal Pradesh (Extra Ordinary) vide this department notification of even number dated 7-2-2009 for inviting objection(s) and suggestion(s) from the person likely to be affected thereby, as required under sub-section (I) of section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977(Act No.12 of 1977);

And whereas, no objection(s) and suggestion (s) have been received within the stipulated period by the State Government in this behalf;

Now, therefore, in exercise of powers conferred by section 87 of the Himachal Pradesh Town and Country Planning Act, 1977 (Act No. 12 of 1977), the Governor, Himachal Pradesh is pleased to make the following rules, namely:—

1. Short title.—These rules may be called the Himachal Pradesh Town and Country Planning (Amendment) Rules, 2009.

2. Amendment of Appendix-I.—In Appendix-I attached to the Himachal Pradesh Town and Country Planning rules, 1978, after serial No. 18, the following shall be added, namely:—

"19 Guidelines for development of Information Technology Park in Waknaghat Planning Area.

1. Slope: Buildings of Information Technology (IT) Park shall be allowed upto 300 slope. The infrastructural services including roads shall be developed in accordance with slope of the area.

2. Land use structure of complex :-

Land use Structure	**Maximum limit**
Total Covered Area	50%
• IT related activities	22% to 44%
• Commercial	1% to 5%
• Recreational (Indoor)	1% to 3%
• Residential	9% to 15 %
Parks and Tot Lots	8% to 12%
Area under Traffic and Transportation	16% to 20%
Area under Set Backs and other Open Spaces	20% to 24%

3. Means of Access.—(i) The access to the site of IT Park area shall not be less than 12.00 Metre wide.

(ii) Provisions of Internal Roads shall be as under: —

Length	**Width**
Up to 1000 Metres	9.00 Metres
Above 1000 Metres	12.00 Metres

(a) Walkways of more than 1.20 Metre widths shall be provided on both sides of the main internal roads.

(b) The width of roads as specified above shall be including the walkways.

4. Parking Provision :

Residential	=	@ one car space per 75 M2 floor area
Commercial	=	@ 1.50 car space per 75 M2 floor area
Office Use	=	@ 1.25 car space per 75 M2 floor area
Hardware Manufacturing Unit	=	@ one car space per 60 M2 floor area.
Software development/ITES	=	@ one car space per 40 M2 floor area.

Maximum height of parking floor shall be 3.00 Metre upto beam below the ceiling of the slab.

5. Maximum Number of Storeys, Coverage and Floor Area Ratio (F.A.R.).—(i) The maximum number of storeys shall be restricted upto 4 storeys +1 parking floor.

(ii) Floor Area Ratio (F.A.R.) shall be 1.75.

(iii) The maximum coverage shall be 50%.

6. Maximum height of buildings.—Maximum height of buildings for IT and related activities shall be 20.10 Metre i.e. parking floor =3.20 M, 4 storyes @ 3.50 M per storey = 14.00 M, roof =2.50 M and slab thickness for 4 storyes @ 0.10 M per storey =0.40 M Total =20.10 M.

7. Set Backs.—(i) Block to Block distance shall be 2/3rd of average height of the Blocks.

(ii) Distance of structures from the adjoining properties and side Set Backs shall not be less than 1/3rd of the height of the Blocks.

(iii) Minimum 3.00 Metre distance from internal roads shall be maintained.

8. Expansion Joints.—The structures exceeding 45.00 Metre in length shall be divided by one or more expansion joints as per Structural Design calculations.

9. Structural Stability.—The structural stability provisions shall be strictly adhered to, as enshrined in Section 31-A of the Act.

10. Environment and Health.—(i) Proper air, light and ventilation to each dwelling unit shall be ensured. At least three hours sun may be available for each building during winters. In case of residential structures, kitchen and services shall be provided along the external walls. However, if the water closets and bathrooms are not opening to the front, sides, rear and interior open spaces, these shall open to the ventilation shaft. The maximum size of ventilation shaft shall be 4.00 Metre with minimum one dimension of 1.5 Metre.

(ii) The Developer shall ensure prior environmental clearance under the provisions of Environment Protection Act,1986 from the Competent Authority, besides consent of the State Environment Protection and Pollution Control Board under the Water Act, 1974 and the Air Act, 1981.

11. Safety Measures.—(i) In case of buildings above 15.00 Metre height, No Objection Certificate from the Director of Fire Services or Chief Fire Officer, as the case may be, shall be required.

(ii) The provision of stair cases shall be as per clause 8.6.2 of Part-IV of the National Building Code of India i.e. minimum two stair cases for floor area of more than 500 M2 . At least one of the stair case shall be on external wall of the buildings and shall open directly to the exterior. Width of stair case shall not be less than 3.00 Metre *i.e.* 1.50 Metre in each flight.

(iii) Provision for lift shall be optional upto 3 storeys and 1 parking floor. However, for more than 3 storeys and one parking floor, it shall be mandatory requirement. The Developer shall make provision of power back up for the lift and general lighting within and outside the building at his own cost.

(iv) Provision for proper Fire Hydrants shall be made in the Complex and the layout showing position and location of the same shall be made available to the nearest Fire Office.

12. Potable Water Supply and Rain Water Harvesting.—(i) No Objection Certificate from the Himachal Pradesh Irrigation and Public Health Department (IPH) regarding availability of adequate water supply and viability of design of rain water harvesting tank shall be furnished.

(ii) Adequate provision for rain water harvesting tank, @ 20 Liters per M2 of the roof top area, shall be made underground in the Parks and Open Spaces and the same shall be used for the purposes other than drinking and cooking.

13. Parks and tot lots.—Area under parks and tot lots shall be properly organized in regular shape and amidst the Blocks. Proper landscaping of the IT Park area in accordance with the design shall be ensured by the Developer.

14. Existing trees and plantation.—(i) No construction shall be allowed within a radius of 5.00 Metre from the circumference of an existing tree.

(ii) Plantation shall be ensured @ 125 trees per Hectare.

15. Distance from Natural drainage.—Distance from highest flood level (HFL) along rivers, 'khuds' and 'nullahs' shall be as under:—

River	=	25.00 M
Khud	=	10.00 M
Nullah	=	05.00 M

16. Distance from Roads.—Minimum distance of structures from National Highways, State Highways, Himachal Pradesh Public Works Department (PWD)'s Scheduled roads, Bye-Passes and other District roads shall be 15.00 Metre.

17. Distance from Electric Lines.—Adequate distance from the electric lines as per the requirement of Himachal Pradesh State Electricity Board (HPSEB) Rules, 1956 shall be maintained. No Objection Certificate of the Competent Authority shall be required, if High Tention/Low Tention (HT/LT) line is crossing through the Complex.

18. Assessment of Power requirement.—In case power requirement assessment exceeds 50 KW, proper space for installation of electric Transformer and Transmission Lines of 11 KV shall be provided in the layout plan. The proposed space is to be got verified from the concerned Officer of the HPSEB and accordingly No Objection Certificate alongwith verification at site shall be furnished.

19. Development of Infrastructure and its maintenance.—(i)The Developer shall construct roads, drains, lay electric and sewerage lines and shall make provision for disposal of solid waste etc. suitable site shall be reserved for placement of dumpers. The provision of services infrastructure shall be made through a duct to be constructed on the sides of the internal roads.

(ii) The Developer shall provide street light poles each at a distance of 30.00 Metre on both sides of the roads.

(iii) The provision of community over head water reservoir shall be made in the Complex.

(iv) All the infrastructural services shall be maintained by the Developer, till such time when a Society is formed and got registered by the stakeholders and residents of the Complex or a Municipality or Nagar Panchayat or Gram Panchayat takes over the maintenance pursuits of the area.

20. Supervision.—For supervision of development of land, the Town Planner, for design of building an Architect and for building construction, the Structural Engineer shall be competent, as per provisions of Annexure-A of part II of the National Building Code of India.

21. Integration.—Proper integration of the IT park area shall be ensured with the surrounding uses and infrastructural provisions like roads, drainage, sewerage etc.

22. Projection of hill architecture.—Sloping roof shall have to be ensured in each structure.

23. Other Regulations and instructions as issued by the Government from time to time shall be adhered strictly".

By order,
Sd/-
Principal Secretary.

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला–5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित